निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 14/2019 (रसद अपील)

श्रीमती कमला देवी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थिनी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, के आदेश दिनांक 04.12.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थिनी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रोजदा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के.डी. अधिवक्ता अपीलार्थिनी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.03.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिनी श्रीमती कमला देवी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रोजदा का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, के आदेश दिनांक 04.12.2017 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थिनी के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थिनी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रोजदा के लिए प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थिनी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थिनी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है,

जिला कलक्टर
जयपुर

का वितरण यूनिट रजिस्टर में दर्ज राशनकार्ड धारकों को करती रही है। अपीलार्थिनी के विरूद्व कभी किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। दिनांक 16.05.2016 को अपीलार्थिनी को लू लगने के कारण उसकी तबीयत खराब थी तथा वह दुकान पर नही थी। उसका पौत्र प्रकाश अपीलार्थिनी जो महिला है, को उक्त कार्य में सहायता करता है। दिनांक 16.05.2016 को अपीलार्थिनी की उपस्थिति में श्री जयराम गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी मर्जी के मुताबिक जांच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.05.2016 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां पेश की। जिला रसद अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही संस्थित कर एक तरफा आदेश द्वारा अपीलार्थिनी को उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.05.2016 को जारी किया गया। जिसमें 5 अनियमितताओं का उल्लेख किया । यद्वपि अपीलार्थिनी को दिनांक 16.05.2016 के निरीक्षण की कार्यवाही तथा दिनांक 17.05.2016 की रिपोर्ट जिसके आधार पर अपीलार्थिनी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया, की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई फिर भी तत्काल अपीलार्थिनी ने दिनांक 08.06.2016 को कारण बताओं नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया। जिला रसद अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में बताई गई तथाकथित अनियमितताओं की जांच किए बिना व अपीलार्थिनी को साक्ष्य व सफाई का मौका दिए बिना व बिना मौखिक बहस सुने प्रकरण निर्णय के लिए लगा दिया। दिनांक 08.06.2016 से 04.12.2017 तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही ना कर दिनांक 04.12.2017 को एक तरफा निर्णय द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नही किया कि दिनांक 16.05.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थिनो की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण रूप से अवैद्य व मनमानी है। निरीक्षणकर्ताओं ने दुकान का निरीक्षण करने समय आदेश 1976 के खण्ड 24(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 100 द॰ प्र॰ सं॰ 1973 के प्रावधानो के अनुसार 2 स्वतंत्र व मौतबीर गवाहान को नही बुलाया। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 20.08.2016 को अपीलार्थिनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व निरीक्षणकर्ता की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.05.2016 व जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट जिनके आधार पर कार्यवाही संस्थित की गई की प्रतिलिपियां उपलब्ध नही कराई, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना हुई है। जिला रसद अधिकारी ने ना तो मामले में कोई जांच की, ना कोई साक्ष्य ली और ना ही अपीलार्थिनी को व्यक्तिगत सुना गया । दस तारीख पेशियां देने के बाद जो एकतरफा निर्णय पारित किया है वह कानूनन गलत है। दिनांक 16.05.2016 को जब अपीलार्थिनी बीमार होने के कारण दुकान पर उपस्थित नही थी तो वह रिकार्ड निरीक्षकर्ताओं के कैसे देती । इसके अलावा निरीक्षणकर्ताओं ने खाद्य विभाग के निर्देशों के अनुसार ना तो किसी वस्तु की तोल की ना तपट्टी बनाई और ना ही किसी स्वतंत्र गवाह को बुलाया । इसलिए 23.25 क्विंटल गेहूं की जो कमी बताई गई है, वह गलत है। गेहूँ की जो तौल लिखी है वह अनुमान के आधार पर लिखी है। जबकि अपीलार्थिनी ने सुपुर्गीदार को गेहूँ का सम्पूर्ण स्टॉक सम्भलाया है। निरीक्षणकर्ताओं ने

जिला कलक्टर
जयपुर

जिस कमरे में केरोसीन रखा था उसकी की चाबी लाने तक का मौका अपीलार्थिनी के पौत्र प्रकाश को नहीं दिया । यहां तक कि मूल्य व स्टॉक सूची की ना तो नकल ली और ना ही उसकी फोटो कराई। अपीलार्थिनी पर समस्त आरोप बदनियतिपूर्ण भावना से लगाये है जो पूर्णत झूंठे है। यदि अपीलार्थिनी को साक्ष्य व सफाई पेश करने का मौका दिया जाता या व्यक्तिगत सुनवाई की जाती तो जिला रसद अधिकारी के सन्देहों को दूर करने का प्रयास करती। जिला रसद अधिकारी ने फर्द मौका पूछताछ श्री भगवान सहाय के कथनों पर विश्वास करने में भारी भूल की है। निरीक्षणकर्ताओं ने उक्त व्यक्ति का राशनकार्ड जब्त किया और उसके हस्ताक्षर सहित कथन लिए । उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में अपीलार्थिनी ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसको भी बिना किसी प्रमाण के निरस्त कर दिया । जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का निर्णय दिनांक 04.12.2017 एक तरफा है, जिसकी ना तो कोई प्रति अपीलार्थिनी को भेजी गई और ना ही इसकी कोई सूचना अपीलार्थिनी को दी गई। अपीलार्थिनी द्वारा जानकारी करने पर उसे दिनांक 15.03.2019 को मालुम हुआ कि उसका प्राधिकार पत्र एक तरफा आदेश द्वारा दिनांक 074.12.2017 को निरस्त कर दिया । जिससे अपीलार्थिनी ने उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 05.04.2019 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर अपील नियामनुसार बिना किसी देरी के प्रस्तुत है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलार्थिनी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल करने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थिनी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थिनी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर पांच अनियमितताए किया जाना पाया गया–(1) वक्त निरीक्षण मौके पर अनुपस्थित पाई गई । आपके पौत्र प्रकाश द्वारा यह बताया गया कि वह दुकान का वितरण कार्य व रिकार्ड संधारण का कार्य करता है, परन्तु उसके द्वारा फर्द मौके पर हस्ताक्षर करने से मना किया । (2) वक्त निरीक्षण स्टॉक व वितरण रिकार्ड वास्ते जांच पेश नही किया गया । पोस मशीन व कार्यकर्ता श्री प्रकाश के बताये अनुसार माह मई 2016 के उठाव व वितरण व शेष स्टॉक का सत्यापन करने पर खाद्य सुरक्षा व अन्त्योदय गेहूं की शेष स्टॉक मात्रा 155.25 क्विंटल गेहूं की एवज में कुल 132 क्विंटल गेहूं ही पाया गया। इस प्रकार 23 क्विंटल गेहूं कम पाया गया । (3) वक्त निरीक्षण मौके पर कार्यकर्ता श्री प्रकाश द्वारा केरोसीन के स्टॉक एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। केरोसीन समीप की दूसरी दुकान मे होना बताया गया तथा ताले की चाबी अनुपलब्ध होना बताया गया । (4) दुकान के बाहर मूल्य एव स्टॉक का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया तथा दुकान खुलने व बन्द होने का समय अंकित होना नहीं पाया गया एवं (5) एक उपभोक्ता ने वक्त निरीक्षण निरीक्षणकर्ताओं को यह बताया कि उसको माह अगस्त 2015 का गेहूँ नहीं दिया गया तथा केरोसीन तीन लीटर प्रति माह दिया जाना बताया। इस प्रकार डीलर द्वारा की गई अनियमितताए प्रमाणित होने पर एवं डीलर के

जिला कलक्टर
जयपुर

दोषी पाये जाने पर अपीलार्थिनी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। अपीलार्थिनी ने अपील विलम्ब से पेश की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपोलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी डीलर द्वारा आरोप संख्या एक के कम में अवगत कराया है कि दिनांक 16.05.2016 को मेरी तबीयत खराब थी, जिससे मै दुकान पर नहीं थी और मेरा पौत्र प्रकाश दुकान के वितरण कार्य व रिकार्ड का संधारण करता है, क्योंकि मै निरक्षर हूँ। मौके पर समझ से बाहर होने की वजह से फर्द पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। अपीलार्थी डीलर द्वारा अपनी बीमारी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न तो जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही दौराने सुनवाई इस न्यायालाय में प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी के कथन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी का पोत्र ही उचित मूल्य दुकान को संचालित करता है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्व है। रिकार्ड का भौतिक सत्यापन करने पर अपीलार्थी डीलर के पास 23.25 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है। जिसके लिए दूसरी दुकान में रखा होने का कथन किया गया तथा दुकान निलम्बित किये जाने के बाद अस्थाई अटैचमेन्ट श्री मदनलाल अनोपपुरा राशन डीलर को समस्त गेहूँ देना बताया है, किन्तु कथनों की पुष्टि में अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती हो। अपीलार्थी ने अपने जबाब में दुकान का स्टॉक एवं वितरण रिकार्ड फर्जी रसद अधिकारियों द्वारा ले जाना बताया है, जो आफ्टरथ्रोट पाया जाता है। अपीलार्थी ने कुछ उपभोक्ताओं को 4 लीटर केरोसीन की बजाय 3 लीटर केरोसीन ही दिया है तथा केरोसीन का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया। इससे अपीलार्थी डीलर द्वारा कालाबाजारी करने की मनः स्थति एवं बदनियति स्पष्ट जाहिर होती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

15/3/21

(अलवर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर